पत्रांक-5/वि1-1-02/2003 झारखण्ड सरकार मानव संसाधन विकास विभाग, (उच्च शिक्षा निदेशालय) सरकार के उपसचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्डं, रॉची। सेवा में, कुलस्मिचेव, र्रांची विश्वविद्यालय, राँची, विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, सिदो कान्ह् मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका, नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालयः, मेदिनीनगरः, पलाम्, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा। महामहिम राज्यपाल-सह-कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित परिनियम विषय:-"Statute On Minimum Qualification for Appointment Of Teachers in Universities" के संसूचन के संबंध में। महाशय,

उपर्युक्त विषयक Draft Statute "Statute On Minimum Qualification for Appointment Of Teachers in Universities" (प्रतिलिपि संलग्न) को राज्यपाल-सह-कुलाधिपित महोदय ने अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है।

अतएव, महामहिम राज्यपाल-सह-कुलाधिपति, झारखंड, राँची के द्वारा उपरोक्त अनुमोदित परिनियम के आलोक में आवश्यक कार्यार्थ/अनुपालनार्थ संसूचित किया जा रहा है। अनुलग्नक :- यथोपरि।

> विश्वासभाजन, २१भने२२।' मिडी।प सरकार के उप सविव।

1.2.3 Assistant Professor

(a). Qualification & experience

i. Good academic record as defined by the concerned university with at least 55% marks (or an equivalent grade 'B' in 7 point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level in a relevant subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.

Ais Am Son of a

my Just Du

3